Order Sheet [Contd] Case No 259/2017 बी.ए

| | Case No 259/ | ′ 2017 बा.ए |
|-----------------------------------|---|--|
| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
| 17.07.2017 | आवेदक / अभियुक्त रामौतार की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री वीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अधीनस्थ जो०एम०एफ०सी० न्यायालय गोहद से मूल अमिलेख प्र०क० 698 / 15 ई०फी० शा०पु० गोहद बि० रामौतार प्रस्तुत। अवेदक / अमियुक्त की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा प्रथम अग्रिम जमानंत आवेदनपत्र अर्तगंत धारा 438 जा०फी० का प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि इसके अलावा अन्य कोई आवेदनपत्र इस प्रकार का किसी भी न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत किया गया है। आवेदक / आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र में प्रार्थना की है कि आवेदक को जानकारी नहीं थी, पुलिस द्वारा उसे गलत साक्षी बनाया था और आवेदक के जानकारी अनुसार ही न्यायालय में कथन किए थे, किन्तु न्यायालय द्वारा आवेदक के विरुद्ध धारा 340 सहपिठत धारा 195 जा०फी० का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। उक्त अपराध में प्रार्थी की गिरफ्तारी होना की संमादना है। आवेदक वार्ड न. 4 गोहद का स्थाई निवासी है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक को उचित अग्रिम प्रतिभूति पर छोडे जाने की प्रार्थना की है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक / अभियुक्त के जावेदक के विहान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अभियुक्त के जावेदक से विचारण न्यायालय ने आवेदक के विकद्ध प्रकरण दर्ज करने का गलत आवेश दिया है। प्रकरण के अवलोकन से दिशींत होता है कि आवेदक / अभियुक्त के विकद्ध सत्र प्रकठ० 288/14 में पीठासीन अधिवकारी द्वारा यह निकर्ज निकाला गया है कि आवेदक अभियुक्त होरा के विकद्ध स्थान प्राप्त को विकद्ध स्थान प्राप्त को विकद्ध स्थान प्राप्त को विक्रद्ध स्थान प्राप्त के विक्रद्ध स्थान प्राप्त के अपराध पाये जाने का निकर्ण निकालकर परिवाद प्रस्तुत किया हो एसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक / अभियुक्त को विक्रद्ध स्थान न्यायालय द्वारा निकर्ण साथवात है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक / अभियुक्त को अग्रिम प्रतिभृति का लाम दिया जाना न्यायोवित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः अग्रेव प्रतित नहीं क्या निक्य का निकर्ण प्रतित्व विपास हो। परिणामतः अग्रेव प्रतित नहीं का निकर्य | AT TO SERVICE STATE OF THE SER |
| | ए०एस०जे० गोहद | |

WITHOUT PROTOTO STATE OF STATE

WITHOUT PATERS BUILTING BUILTI